न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट), बहराइच।

J. O. Code–UP2735

UPBH010032552026

जमानत प्रार्थनापत्र सं0–1109/12A/2026

नायब पुत्र सन्नाम निवासी जमादार गाँव, थाना नवाबगंज, जिला–बहराइच।

------आवेदक/अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य। ----------विपक्षी।

अपराध संख्या–43/2026
धारा–70(1), 351(3) बी०एन०एस० व
3(2)(v) एस०सी०/एस०टी० एक्ट
थाना–नबावगंज, जनपद बहराइच।

02.06.2026

1– यह जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त नायब पुत्र सन्नाम निवासी जमादार गाँव, थाना नवाबगंज, जिला–बहराइच की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–43/2026, अन्तर्गत धारा–70(1), 351(3) बी०एन०एस० व धारा–3 (2)(5) एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना नबावगंज, जनपद बहराइच के प्रकरण में जमानत पर अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

2– प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि जमानत प्रार्थनापत्र प्रथम है तथा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। प्रार्थी दिनांक–07.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

3– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्त द्वारा यह तर्क दिया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित कथानक एकदम फर्जी व मनगढ़ंत है तथा रंजिशन गलत तौर से तहरीर कराया गया है। सही तथ्य यह है कि प्रार्थी/अभियुक्त व प्रथम सूचिका के पति की अरसे पहले से जान पहचान थी जिस कारण प्रथम सूचिका भी प्रार्थी/अभियुक्त को जानती पहचानती थी, प्रथम सूचिका के पति मृत्यु के बाद जरूरत पड़ने पर प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचिका को पैसे की मदद दे देता था धीरे–2 प्रार्थी/अभियुक्त का काफी पैसा प्रथम सूचिका के पास हो गया जब प्रार्थी/अभियुक्त ने मांगना शुरू किया तो उसने आज का बहाना बताना शुरू कर दिया। घटना के करीब एक सप्ताह पहले जब प्रार्थी/अभियुक्त ने पैसे के लिए जोर दबाव डाला तो प्रथम सूचिका ने फर्जी गंभीर मुकदमे में फसाने की धमकी दिया तथा पैसा गबन करके वह सरकार द्वारा प्रदत्त लाभ को प्राप्त करने हेतु प्रार्थी/अभियुक्त को फर्जी मुकदमें में फंसा दिया। प्रथम सूचिका द्वारा कहा गया है कि बहला फुसलाकर जंगल में ले गया जबकि वह वयस्क औरत बहलाने फुसलाने में नहीं आ सकती है यदि जंगल तरफ जा रही तो कोई चक्षुदर्शी व्यक्ति का उल्लेख नहीं किया गया है जिससे घटना मनगढ़ंत होना दर्शाती है। प्रथम सूचिका के साथ घटना कारित होना दिनांक–03.05.2026 को बताया गया है तथा सुबह 05 बजे प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा छोड़े जाने का कथन किया गया है जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक–05.05.2026 समय करीब 01.21 बजे की है जबकि सुबह 5.00 बजे छोड़े जाने के पश्चात प्रथम सूचिका ने एफ०आई०आर० तुरंत नहीं कराई जिससे उक्त घटना सोच समझकर फसाये जाने का साफ–2 अवलोकन होता है। प्रार्थी/अभियुक्त को गलत तरीके से फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, निर्दोष है जमानत पर रिहा होने योग्य है।

4– मैंने जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के अधिवक्ता, वादिनी स्वयं एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा सम्बन्धित पत्रावली का

परिशीलन किया।

5– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थिनी/पीड़िता दिनांक–03.05.2026 को ग्राम इटावा, थाना–नवाबगंज, जनपद बहराइच के निवासी श्री सुरेश जी के यहाँ तेरही शान्तिभोज के कार्यक्रम में गई थी, जहाँ विपक्षी नायब पुत्र सन्नाम निवासी जमादार गाँव मुझे मिले और सांय लगभग 5 बजे मुझे अलग बुलाकर बहलाफुसला कर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा लिए और जंगल ले गये जहाँ उनका एक साथी पहले से ही मौजूद था, दोनों ने मेरे सात रातभर बारी–बारी से बलात्कार किया और रात भर मुझे जांगल में ही रखा, सुबह करीब 5 बजे मुझे किसी से कहने बताने पर जान से मारने की धमकी देकर वहाँ से चले गये फिर प्रार्थिनी किसी तरह अपने घर पहुँची। प्रार्थिनी विधवा व गरीब महिला है तथा विपक्षी से भयभीत है व अनुसूचित जाति की है। आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

6– अभियोजन की ओर से कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने की याचना की गयी है।

7– पत्रावली का परिशीलन किया। परिशीलन से विदित होता है कि

अभियोजन का अभियुक्त पर आरोप है कि वह पीड़िता को दिनांक–03.05.2026 को ग्राम इटावा, थाना नबावगंज, बहराइच के निवासी सुरेश के यहाँ तेरहवी भोज में गयी थी। वहाँ से अभियुक्त नायब के द्वारा 05 बजे उसे बहलाफुसलाकर मौटरसाइकिल पर बैठाकर जंगल की ओर ले गया। वहाँ पर अभियुक्त व उसके साथी द्वारा बारी–2 से उसके इच्छा के विरुद्ध बलात्कार किया गया और उसे जंगल में रातभर रखा। जिसके सम्बन्ध में केस डायरी में पीड़िता के बयान धारा–180 बी०एन०एस०एस० व धारा–183 बी०एन०एस०एस० में यह आया है कि नायब से उसका बातचीत पिछले 05 वर्ष से था और उसने नायब के साथ कई बार शारीरिक सम्बन्ध बनाया। उसे नहीं पता था कि नायब शादीशुदा है। नायब और उसके एक अन्य दोस्त द्वारा पीडिता के साथ जबरन शारीरिक सम्बन्ध बनाया गया। पत्रावली पर मेडिकल प्रपत्र जिसमें पीड़िता के शरीर पर दो नीलगू निशान जो किसी हार्ड व ब्लंट ऑब्जेक्ट से कारित किये गये जो 6x5 cm दाहिने कंधे के ऊपर दूसरी ओर 3x1.5 cm जो सीधे कंधे के ऊपर कारित की गयी है। अभियुक्त को पुलिस द्वारा मामले में गिरफ्तार किया गया है। मामला गंभीर प्रकृत का है।

8– अतः उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रकरण के गुणदोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये,न्यायालय के विचार में आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त नायब पुत्र सन्नाम निवासी जमादार गाँव, थाना नवाबगंज, जिला–बहराइच की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–43/2026, अन्तर्गत धारा–70(1), 351(3) बी०एन०एस० व धारा–3 (2)(v) एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना नबावगंज, जनपद बहराइच में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(पवन कुमार शर्मा–II)
विशेष न्यायाधीश, (एस०सी०/एस०टी० एक्ट)
बहराइच।

दिनांकः 02.06.2026